

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक: एफ. 1(17)शिक्षा/ग्रुप-3/2018

जयपुर, दिनांक: 5 JAN 2021

आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के निम्नांकित अधिकारियों का पदोन्नति के फलस्वरूप, उनके नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय में स्थानान्तरण/पदस्थापन एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है -

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कहाँ से (राजकीय महाविद्यालय)	कहाँ को (राजकीय महाविद्यालय)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
स्नातकोत्तर प्राचार्य/संयुक्त निदेशक				
1	श्रीमती मजू देवी गोयल(बंसल)	कन्या सादुलशहर	कन्या श्रीगंगानगर	रिक्त पद पर
उप-प्राचार्य स्नातकोत्तर/स्नातक				
1	श्री लक्ष्मी चन्द मीणा	वाणिज्य कोटा	गंगापुर सिटी (प्राचार्य पद के विरुद्ध)	रिक्त पद पर

उक्त अधिकारी अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण कर, कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. मोहम्मद नईम)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
3. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित महाविद्यालय/अधिकारी।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-एफ.1()पीएस/आकाशि/20/247-

दिनांक: 05.01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
5. संबंधित प्राचार्य/उपाचार्य को प्रेषित कर लेख है कि नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर अविलम्ब, आयुक्तालय को सूचित करें।
6. स्थापना शाखा/कार्मिक शाखा/गोपनीय शाखा/रोकड़ शाखा।
7. वेबसाइट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. आर. सी. मीना)
संयुक्त निदेशक(एचआरडी)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।